



सूचना विवरण पुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल- 16

(01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक)

निदेशालय

**प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून ।**

वेबसाइट-www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

मैनुअल—16

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड के लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम/कार्यालय का पता/टेलीफोन नं०/ई-मेल का विवरण।

प्रा० शिक्षा निदेशालय स्तर पर विभागीय अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी।

क्र० सं०	नाम	पदनाम	विभाग का नाम	टेलीफोन नं०	ई-मेल
01	श्री एस०एस० चौहान	विभागीय अपीलीय अधिकारी/उप निदेशक, प्रा०शि० निदेशालय उत्तराखण्ड।	शिक्षा विभाग	0135-2781827	ua.elementary@yahoo.in
02	श्री नत्थी लाल कौशल	लोक सूचना अधिकारी/मु०प्र०अ०, प्रा०शि० निदेशालय उत्तराखण्ड।	शिक्षा विभाग	0135-2781827	ua.elementary@yahoo.in


उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

- 1- अपर निदेशक(प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त उप शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

- 2- अपर निदेशक (प्रा0शि0)
कुमायूं मण्डल नैनीताल।
- 4- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) उत्तराखण्ड।

पत्रांक/सू0अ0/प्रा0शि0/ 748-58 /नवीन ढाँचा /2023-24/ दिनांक 29 फरवरी, 2024
विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून में नये स्तर से प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त लोक प्राधिकारी/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 5(1) के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून में नये स्तर से लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने हेतु नवीन ढाँचा संशोधित किया गया है।

अतः महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के अनुमोदनोपरान्त सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 5(1) के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून में नये स्तर से लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी निम्नवत् नामित किये जाते हैं।

क्र० सं०	नामित दायित्व	पदनाम	लिंक अधिकारी
01	लोक सूचना अधिकारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय में वरिष्ठतम	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी II कार्यालय में वरिष्ठतम
02	विभागीय अपीलीय अधिकारी	संयुक्त निदेशक (द्वितीय)	संयुक्त निदेशक (प्रथम)

भवदीय,
(आर० के० उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
दिनांक उक्तवत्।

पृ०सं०:सू०प्र०/ 748-58 /नवीन ढाँचा/2023-24

प्रतिलिपि- निम्ननांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड लाडपुर देहरादून।
- 2- निजी सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
- 7- सम्बन्धित विभागीय अपीलीय अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।
- 8- सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।
- 10- प्रभारी, एम०आई०एस० विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित ढाँचा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(आर० के० उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आदेश संख्या-सू0प्र0/ 361

/प्रभार/2024-25 दिनांक 30 अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

एतद्वारा श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत, संयुक्त निदेशक/विभागीय अपीलीय अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के दिनांक 31 अगस्त, 2024 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड को विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं ऑनलाईन RTI के नोडल अधिकारी के कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया जाता है।

अतः श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को आदेशित किया जाता है कि वे अपने कार्य एवं दायित्वों के साथ-साथ विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं ऑनलाईन RTI के नोडल अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड के कार्य एवं दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

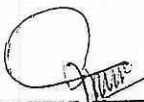

(रघुनाथ लाल आर्य)
प्रभारी निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकन संख्या/सू0प्र0/ 10313-22 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- अपर निदेशक(प्रा0शि0/मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँयू मण्डल नैनीताल।
- 5- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त उप शिक्षा अधिकारी, प्रा0 शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 8- श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त उप निदेशक/मु0प्र0अ0 सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।
- 10-कार्यालय प्रति।


(रघुनाथ लाल आर्य)
प्रभारी निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आदेश संख्या-सू0प्र0 / 594

/2024-25 दिनांक 03 दिसम्बर, 2024

कार्यालय आदेश

श्री चैतराम डंगवाल, मु0प्र0अ0/लोक सूचना अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के दिनांक 02.12.2024 से दिनांक 09.12.2024 तक आकस्मिक अवकाश पर होने के फलस्वरूप उनके कार्यालय में उपस्थिति होने की अवधि तक श्री नत्थी लाल कौशल, वरिष्ठतम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड को लोक सूचना अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड के कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया जाता है। साथ ही श्री नत्थी लाल कौशल, मु0प्र0अ0 को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम आदेश तक अपने कार्य एवं दायित्वों के साथ-साथ लिंक अधिकारी के रूप में लोक सूचना अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड के कार्य एवं दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

(रामकृष्ण उनियाल)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकन संख्या/सू0प्र0 / 14279-87

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0) गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमाँयू मण्डल नैनीताल
- 5- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0 शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
- 7- समस्त अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।
- 9- कार्यालय गार्ड फाइल।

(रामकृष्ण उनियाल)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

51c